न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

पीठासीन अधि.कारी :: महावीर महावर आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निगरानी फौजदारी प्रकरण सं. :: 16/2026

1. गोपीदेवी पत्नी हरिराम निवासी मोतीपुरा थाना जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान राज्य **गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी विरूद्ध आदेश 10.04.2026 न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाजपुर जिला भीलवाड़ा, पीठासीन अधिकारी राजीव चौधरी आर.जे.एस., एफआईआर सं. 186/2022 थाना जहाजपुर

उपस्थिति :

1. श्री दीपक सिंह चौहान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया निगरानीकर्ता की ओर से।

निर्णय दिनांक: 14.07.2026

01. यह निगरानी याचिका निगरानीकर्ता/प्रार्थीया की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.04.2026 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/प्रार्थीया या का वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली सं. आरजे 51 आरए 7506 को प्राप्त करने का सशर्त स्वीकार किया है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि थाना जहाजपुर के पुलिस मुलाजमान के द्वारा प्रार्थीया या/निगरानीकर्ता के उक्त वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली सं. आरजे 51 आरए 7506 को अवैध बजरी खनन में जप्त किया गया है। जिस पर एफ.आई.आर सं. 60/2021 अन्तर्गत धारा 379, 120 बी भा.द.स. व 4/21 एमएमडीआर एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान निगरानीकर्ता /प्रार्थीया या गोपीदेवी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में जप्तशुदा उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.04.2026 को करते हुए प्रार्थनापत्र को सशर्त स्वीकारा है की प्रार्थीया या खनिज विभाग में अवैध खनिज बजरी के निर्गमन की शास्ती राशि, वाहन की कम्पाउण्ड राशि एंव पर्यावरण क्षतिपूर्ति (एनजीटी) राशि संबधित विभाग में जमा कराने तथा 3,00,000/ रूपये का सुपुर्दगीनामा व जमानतामा पेश करने पर प्रश्नगत वाहन को छोड़े जाने का आदेश किया गया है।

03. दौराने बहस निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आलौच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। प्रार्थीया उक्त वाहन से अवैध खनन का अपराध नहीं कर रही थी। उक्त वाहन के संदर्भ में खनिज विभाग के द्वारा आज तक राजसात की कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त वाहन को अवैध बजरी खनन का कार्य करते हुए नहीं पकडा है, रंजिशवश वाहन को लिप्त किया गया है। प्रार्थीया का वाहन खुले में रहने से खराब होने का अंदेशा है। कंपाउण्ड राशि जमा कराने के आदेश अपास्त योग्य है। खान विभाग पृथक से कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश अपास्त कर प्रार्थीया को उसका वाहन सुपुर्दगी पर दिलाया जावे। अपने कथनो के समर्थन में सम्मानिय न्यायिक दृष्टांत S.B. Criminal Misc Petition No. 6909/25 Anwar Ali VS State of Rajasthan 27.08.2025 पेश किया। जिसका सम्मान पूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

04. न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारणीय है कि ::

"क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 10.07.2026 अवैध विधि विरुद्ध होने से हस्तक्षेप योग्य है ?"

05. प्रकरण में जब्तशुदा प्रश्नगत वाहन को थाना जहाजपुर के द्वारा अवैध बजरी खनन में जब्त किया गया है। प्रश्नगत वाहन से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रार्थीया/निगरानीकर्ता उक्त प्रश्नगत वाहन की पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थीया/निगरानीकर्ता के अलावा पत्रावली पर प्रश्नगत वाहन को सुपुदर्गी पर लेने का किसी अन्य व्यक्ति का कोई प्रार्थनापत्र लम्बित नहीं है।

06. विद्वान विचाराण न्यायालय के समक्ष कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एंव भूविज्ञान विभाग भीलवाडा की प्रश्नगत वाहन के संदर्भ में अवैध बजरी खनन की राजसात की कार्यवाही की जाना लम्बित नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सम्मानिय न्यायिक दृष्टांत S.B. Criminal Misc Petition No. 6909/25 Anwar Ali VS State of Rajasthan 27.08.2025 में अभिनिर्धारित किया है कि खनन विभाग स्वतन्त्र रूप से कानूनी प्रक्रिया से कार्यवाही कर सकता है। यदि वाहन को CONFISCATE नहीं किया गया है तो न्यायालय उसे उचित समय तक रोक नहीं सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सम्मानिय न्यायिक दृष्टांत S.B. Criminal Misc Petition No. 9947/2025 Mani–ram VS State of Rajasthan 18.03.2026 में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक न्यायालय से आशा नहीं की जा सकती की वह जब्त वाहनो को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत रोके रखें।

07. खनिज विभाग प्रश्नगत वाहन के संबंध में खनिज विधि Rajasthan Minor Mineral Concession Rule, 2017 व Mines and Minerals (Development and Regula–tion) Act, 1957 के तहत अपनी राजसात की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानिय न्यायिक दृष्टांत Sundar Bhai ambalal Desai VS Gujrat State AIR 2003 S.C.638 के अनुसार विचारण के दौरान जब्त सम्पत्ति वस्तुओ को उसके कब्जा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को अंतरिम सुपुर्दगी पर दी जाना न्यायोचित है। एसे में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीया का सुपुर्दगी का प्रार्थनापत्र को सर्शत स्वीकार करने का आक्षेपित आदेश तर्क संगत नही है। जिससे उक्त आक्षेपित आदेश अपास्त योग्य है तथा उक्त

सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

08. अतः प्रार्थीया/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.07.2026 अपास्त किया जाता हैं तथा यह आदेश दिया जाता है कि यदि निगरानीकर्ता/प्रार्थीया विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष 3,00,000/– रूपये की राशि का जमानतमाना व इसी राशि का सुपदर्गीनामा निम्न शर्तों के साथ विद्वान विचारण न्यायालय में पेश कर तस्दीक करवा दे तो उसे प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली ट्रेक्टर सं. आरजे 51 आरए 7506 को सुपुर्दगी पर दे दिया जाये।

1. वह वाहन के रंग–रोगन एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपने खर्चे पर न्यायालय में पेश कर देगा।

2. वह वाहन को खुर्द बुर्द या अन्तरित नहीं करेगा।

3. वाहन की चारों ओर से चार रंगीन फोटो खिंचवाकर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करेगा।

4. न्यायालय के समक्ष इस आशय की अण्डर–टेकिंग पेश करे कि वह भविष्य में पुनः इस प्रकार के अपराध में वाहन का उपयोग नहीं करेगा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करेगा।

आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

(महावीर महावर)
अपर सेशन न्यायाधीश जहाजपुर
जिला भीलवाड़ा।

09. आदेश आज दिनांक 14.07.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर महावर)
अपर सेशन न्यायाधीश जहाजपुर
जिला भीलवाड़ा।